उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक....D/798....................................../ जबलपुर, दिनांक 24/01/2019.

प्रतिलिपिः—

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
3. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर,
4. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ....(समस्त),
6. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ....(समस्त),
7. रजिस्ट्रार, प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/जिला स्था./आई.एल./एक्जाम एण्ड लेबर ज्यूडिशरी/कम–पी.पी.एस, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
8. मेम्बर सेक्रेटरी (एस.सी.एम.एस.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
10. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
11. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. लेखाधिकारी (सैट), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
13. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
14. अनु. अधि., स्थापना/बजट/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
15. सहायक स्थापना/पेंशन/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,

की ओर, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग, मंत्रालय, भोपाल का परिपत्र दिनांक 21–06–2017, 16–10–2017 एवं 03–02–2018 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय के लिये अंगीकृत करते हुये सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः— **मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग, मंत्रालय, भोपाल का परिपत्र दिनांक 21–06–2017, 16–10–2017 एवं 03–02–2018 की प्रतिलिपि.**

21.1.19

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

Back

आनंद विभाग
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय

21 JUN 2017

क्रमांक-151 /आ.वि./बजट/2017 भोपाल, दिनांक 21/06/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय:- आनंद गतिविधियों के संचालन के लिए उपलब्ध कराये गये बजट के व्यय के संबंध में निर्देश।

---0---

आनंद गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक विभाग को बजट उपलब्ध कराया गया है इस राशि का व्यय निम्नलिखित गतिविधियों पर किया जा सकता है:-

1. www.coursera.org पर ए लाईफ ऑफ हैप्पीनेस एण्ड फुलफिलमेंट (A Life of happiness and fulfillment) नाम का ऑन लाईन पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिसे डॉ. राज रघुनाथन ने तैयार किया है। इस कोर्स को इण्डियन इंसटीटीयूट ऑफ हैदराबाद भी उपलब्ध करा रहा है। इस कोर्स का नि:शुल्क अथवा सशुल्क दोनों तरह से अध्ययन किया जा सकता है। सशुल्क अध्ययन में औपचारिक प्रमाण पत्र तथा कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री मिलती है। आपके विभाग के जो भी अधिकारी / कर्मचारी इस सशुल्क कोर्स को ऑन लाईन करना चाहें वह फीस भरकर इसे कर लें। प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात् **संबंधित** विभाग **अपने अधिकारी / कर्मचारी को** इस फीस की **प्रतिपूर्ति** (Reimburse) करेगा। Coursera **से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद जो लोक सेवक** राज्य आनंद संस्थान को प्रमाण पत्र **भेजेगे उनको संस्थान में आनंदक / रिसोर्स पर्सन के रूप में** पंजीकृत किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार संपर्क कर उन्हें स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा।

2. वर्तमान में यह कोर्स अंग्रेजी में उपलब्ध है। राज्य आनंद संस्थान द्वारा इसका अनुवाद किया जा रहा है। 3 माह के बाद इसका हिन्दी संस्करण भी www.anandsansthanmp.in पर उपलब्ध हो जाएगा।

3. आप अपने **विभाग के सेवकों को** निम्न संस्थाओं में उल्लेखित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 20,000 रूपये तक फीस का भुगतान कर सकते हैं। अगर कार्यक्रम की फीस इससे अधिक हो तो उसका भुगतान संबंधित **सेवक** को स्वतः करना होगा। टीए/डीए का भुगतान पात्रतानुसार नियमित (regular) मद से होगा तथा प्रशिक्षण अवधि शासकीय सेवा पर ड्यूटी मानी जावेगी।

क्र.	संस्था का नाम	कार्यक्रम का नाम
1	The Art of Living Foundation, Bangalore	Building Competencies for Personal Excellence in Public Governance
2	IC Centre for Governance (ICCG), Panchgani	Ethics in Public Services
3	Isha (Foundation) Yoga Centre, Coimbatore	Inner Engineering Leadership Programme

यह उल्लेखनीय है कि यह समस्त कार्यक्रम भारत शासन Deptt of Personal and training ने शासकीय अधिकारियों के लिए मान्य किए हैं। यह सुविधा ऐसे नियमित एवं अनुबंध पर कार्य कर चुके अधिकारी एवं कर्मचारियों को मिल सकेगी जो तीन वर्ष की निरंतर सेवा दे चुके हो। इसमें पद/वेतन के आधार पर कोई भेदभाव अनुमत नहीं होगा।

यदि उक्त संस्थाएं उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्यप्रदेश में आयोजित करती है तब देय **प्रशिक्षण शुल्क** की प्रतिपूर्ति उक्त सीमा के अंतर्गत की जा सकेगी।

4. आनंद विभाग द्वारा इन संस्थाओं से पृथक से MOU किया जा रहा है तदोपरांत। इन संस्थाओं के कार्यक्रमों की जानकारी और उनका कैलेण्डर www.anandsansthanmp.in पर 1 सितम्बर 2017 से उपलब्ध होगा। तब इनमें भाग लेने के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को राज्य आनंद संस्थान के माध्यम से पंजीकृत करना होगा।

5. विभाग के विभिन्न कार्यालयों में अल्प विराम कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के लिए एक प्रशिक्षित आनंदम सहयोगी की आवश्यकता होगी। आनंदम सहयोगी वह व्यक्ति होता है जो अल्प विराम कार्यक्रम संचालन करने के लिए राज्य आनंद संस्थान द्वारा प्रशिक्षित हो। अगर ऐसे सहयोगी की सेवाएं आपके कार्यालय में उपलब्ध हो तो अल्प विराम कार्यक्रम के आयोजन के लिए होने वाले आकस्मिक व्यय उदाहरणतः ओवरहेड

प्रोजेक्टर को किराये से लेना, अल्प विराम मैन्यूअल की फोटो प्रति करना, आनंद कैलेण्डर क्रय करना आदि पर व्यय किया जा सकेगा। अगर आपको अल्पविराम कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आनंदम सहयोगी की जानकारी की आवश्यकता हो तो वह श्री प्रवीण गंगराड़े संचालक, राज्य आनंद संस्थान के मोबाइल नंबर **9425067585** पर संपर्क कर सकते हैं।

6. राज्य आनंद संस्थान के द्वारा आनंद कैलेण्डर प्रकाशित किया गया है। इसे राज्य आनंद संस्थान की वेब साईट www.anandsansthanmp.in पर आदेश देकर निर्धारित दर पर खरीदा जा सकता है।

7. राज्य आनंद संस्थान के द्वारा शीघ्र ही **जिला एवं संभागीय मुख्यालयों** में "आनंदमयी जीवन शैली" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जायेंगे। इस कार्यक्रम के शुल्क का भुगतान भी इस मद से किया जा सकता है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा क्रमांक एफ 11-72/2016/1/9 दिनांक 14 दिसम्बर 2016 को निर्देश जारी किए गए हैं जो www.anandsansthanmp.in पर उपलब्ध है।

8. आनंद विभाग के द्वारा **चुने हुए** वक्ताओं / व्यक्तियों / संस्थाओं को पंजीकृत किया जाएगा, जिन्हें आप अपने कार्यालय में बुला सकेंगे। उनपर होने वाला व्यय इस बजट हेड से किया जा सकेगा। ऐसे व्यक्तियों की सूची तथा उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी राज्य आनंद संस्थान की वेब साईट www.anandsansthanmp.in पर माह जून अंत तक उपलब्ध कराई जाएगी।

9. यह अपेक्षा है कि विभाग अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्यरत् निगम/मंडल/सोसाएटी/बोर्ड आदि को भी निर्देशित करें कि वह अपने बजट में आनंद संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए प्रावधान करें। उन प्रावधानों के अंतर्गत वह भी उक्त उल्लेखित निर्देशों के अनुसार व्यय कर सकेंगे।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आनंद विभाग

राज्य आनंद संस्थान 2/5

(मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग की पंजीकृत संस्था)

माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. परिसर, भोपाल

www.anandsansthanmp.in / E-mail : anandsansthanmp@gmail.com

क्रमांक- 537/आ.संस्थान/आ.शि./2017 भोपाल, दिनांक 16/10/2017

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभाग,
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
3. समस्त संभागयुक्त,
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषय:- "आनंद शिविरों" के लिए पंजीयन।

संदर्भ:- आनंद विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 151/आ.वि./बजट/2017, भोपाल दिनांक 21 जून 2017.

1. शासकीय सेवकों को परिपूर्ण जीवन जीने की विधा सिखाने तथा उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राज्य आनंद संस्थान द्वारा "आनंद शिविर" आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का 'कैलेण्डर' एवं प्रतिभागी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन संस्थान की वेबसाइट www.anandsansthanmp.in पर उपलब्ध रहेगा।
2. "आनंद गतिविधियों" के संचालन के लिए प्रत्येक विभाग को वर्ष 2017-18 में बजट लाइन दी गई है जिसका उपयोग इन शिविरों में भाग लेने पर किया जा सकता है।
3. संदर्भित पत्र की कण्डिका 3 अनुसार राज्य आनंद संस्थान द्वारा इस तीनों संस्थाओं 1. आर्ट ऑफ लिविंग 2. ईशा फॉउण्डेशन 3. आईओएफसी(आईसीसीजी, पंचगनी) से एमओयू किया जा चुका है। इन संस्थाओं में विभाग के सेवकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण में

संबंधित विभाग के शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण शुल्क तथा टी.ए. की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जावेगी।

4. <u>आनंद शिविर</u> :- (शासकीय सेवको हेतु)

4.1 उपरोक्त शिविरों के लिए प्रतिभागी को विभागीय वेबसाइट www.anandsansthanmp.in के माध्यम से ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है।

4.2 प्रत्येक शिविर हेतु सीमित सीटे उपलब्ध होती है अत: "प्रथम आओ प्रथम पाओं" के सिद्धांत पर शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का चयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वत: ही होगा।

4.3 विभाग अंतर्गत् कार्यरत प्रतिभागी को केवल पंजीयन शुल्क रू. 500/- ऑनलाइन जमा करना होगा। यह राशि नॉनरिफंडबल होगी तथा इसकी प्रतिपूर्ति भी विभाग द्वारा नहीं की जावेगी । उपरोक्त तीनों संस्थाओं में आयोजित होने वाले शिविर में भाग लेने वाले शासकीय विभागों में कार्यरत प्रतिभागियों के शिविर शुल्क का भुगतान, राज्य आनंद संस्थान द्वारा सीधे शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं को किया जायेगा | उक्त में से केवल शिविर शुल्क की प्रतिपूर्ति, संबंधित विभाग द्वारा राज्य आनंद संस्थान को आनंद विभाग द्वारा जारी निर्देश क्र. 151/आ.वि./बजट/2017 दिनांक 21/06/2017 के अनुसार विभागीय बजट में से की जाएगी।

4.4 शासकीय विभागों के अंतर्गत सभी सार्वजानिक उपक्रमों (निगम/ मंडल/ आयोग / संस्थान इत्यादि) में पदस्थ प्रतिभागियों को शिविर शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान स्वयं ऑनलाइन करना होगा, जिसमे से केवल शिविर शुल्क की प्रतिपूर्ति सम्बंधित उपक्रम द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को की जावेगी जैसा कि संदर्भित निर्देश में उल्लेखित है।

4.5 यदि शासकीय सेवक शिविर में पति/पत्नि को साथ ले जाना चाहते है तो उन्हें उनका पंजीयन शुल्क, शिविर शुल्क एवं आने-जाने का व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

5. आनंद शिविर में पंजीयन हेतु :-

5.1 आंनद शिविर में पंजीयन करवाते समय शासकीय सेवको के लिये नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। शासकीय सेवकों की स्थिति में नियंत्रणकर्ता अधिकारी का मोबाईल नंबर एवं ईमेल देना अनिवार्य होगा जिस पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी को ईमेल एवं एस.एम.एस. भेजा जावेगा ।

5.2 सभी प्रतिभागियों के लिये पंजीयन करते समय आधार नंबर प्रदाय करना अनिवार्य होगा ।

5.3 विभिन्न संस्थानों के आनंद शिविर कार्यक्रम एवं उनके कैलेण्डर वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे । प्रतिभागी अपनी सुविधा अनुसार उनका चयन कर सकते है ।

5.4 प्रतिभागियों को पंजीयन करवाते समय पंजीयन शुल्क राशि 500/- ऑनलाईन जमा करनी होगी। यह राशि नॉन रिफंडेबल (अप्रतिदेय) होगी।

5.5 प्रतिभागी बिना पंजीयन के किसी भी आनंद-शिविर में शामिल नहीं हो सकेंगे।

6. अल्पविराम शिविर :-

6.1 इसके अतिरिक्त राज्य आनंद संस्थान द्वारा निम्नलिखित "अल्पविराम आनंद शिविर" आयोजित किये जायेगे :-

1. 1½ दिवसीय अल्पविराम शिविर
2. आनंदम सहयोगी मूलभूत शिविर

218

3. आनंदम सहयोगी रिफ्रेशर शिविर

4. मास्टर्स ट्रेनर्स शिविर

इसका कैलेण्डर भी www.anadsanthanmp.in पर समय-समय पर उपलब्ध होता रहेगा । इन शिविरों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति से उपस्थित होने पर संबंधित शासकीय/उपक्रम के सेवक को ड्यूटी पर माना जावेगा तथा उन्हें टीए/डीए की पात्रता होगी। इस संबंध में GAD का ज्ञापन क्रमांक F 11-72/2016/1/9 दिनांक 14/12/2016 संस्थान की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

6.2 शासकीय सेवकों के लिये अल्पविराम कार्यक्रमों के लिए किसी भी प्रकार का पंजीयन एवं प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं है ।

प्रतिभागियों के सफलतापूर्वक पंजीयन होने पर उन्हें एस.एम.एस. एवं ईमेल से कन्फर्ममेशन भेजा जावेगा। कार्यक्रम संबंधी विस्तृत विवरण वे अपने आनंदक लॉगइन पर भीदेख सकते है।

(मनोहर दुबे)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्य आनंद संस्थान

क्रमांक-538/आ.संस्थान/आ.शि./2017 भोपाल, दिनांक 16/10/2017

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राज भवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव(समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधन सभा, भोपाल ।
5. रजिस्टार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

7. सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर ।
8. अपर मुख्य सचिव, आनंद विभाग।
9. संभागीय आयुक्त, समस्तको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. जिला कलेक्टर्स, समस्तको सूचनार्थएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. विशेष सहायक/ निज सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर /ग्वालियर/इंदौर।
15. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
16. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/ माध्य.शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल।
17. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
18. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
19. अवर सचिव, सा.प्र.वि., स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल।
20. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल।
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्य आनंद संस्थान

मध्य प्रदेश शासन
आनंद विभाग
मंत्रालय, भोपाल

03 FEB 2018

क्रमांक 15/2018   भोपाल, दिनांक 3/02/2018

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त संभागायुक्त
4. समस्त जिला कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश

विषय :- शासकीय सेवकों के लिए आयोजित किये जाने वाले "आनंद शिविर" के संबंध में।

संदर्भ :- 1. म.प्र.शासन,सा.प्र.वि. का ज्ञाप क्र. एफ 11-72/2016/1/9 दिनांक 14/12/16
2. म.प्र.शासन आनंद विभाग का ज्ञाप क्र. 151/आ.वि./बजट/2017 दि. 21/06/17
3. राज्य आनंद संस्थान का पत्र क्र. 437/आ.सं./आ.शि./2017 दिनांक 16/10/17

—00—

प्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए 'आनंद शिविर' आयोजित करने हेतु (1) आर्ट ऑफ लिविंग संस्था बैंगलौर, (2) ईशा फाउन्डेशन कोयम्बटूर एवं (3) आई.ओ.एफ.सी. पंचगनी, पुणे संस्थानों के साथ राज्य आनंद संस्थान ने एम.ओ.यू निष्पादित किया है। इन 'आनंद शिविर' के संबंध में उपरोक्त संदर्भित ज्ञापनों द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, जो वेबसाईट **www.anandsansthanmp.in** पर उपलब्ध है।

उक्त निर्देशों के संबध में अतिरिक्त निम्न निर्देश जारी किये जा रहें है जिनसे यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

1. प्रत्येक शासकीय सेवक को केवल एक ही 'आनंद शिविर' में भाग लेने की पात्रता होगी।
2. यदि कोई शासकीय सेवक पंजीयन के समय त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर एक से अधिक बार आनंद शिविर में भाग लेता है तो उस आनंद शिविर का प्रशिक्षण शुल्क, यात्रा भत्ता एवं पंजीयन शुल्क उसके वेतन से वसूला जायेगा ।
3. यदि कोई शासकीय सेवक अपना पंजीयन करवाने के पश्चात किसी 'आनंद शिविर' में भाग नही लेना चाहता है तो उसकी 'पूर्व सूचना' कारण सहित राज्य आनंद संस्थान को ई-मेल **anandsansthanmp@gmail.com** पर प्रेषित करना होगी, अन्यथा 'आनंद शिविर' का प्रशिक्षण शुल्क संबंधित शासकीय सेवक के वेतन से वसूला जायेगा।
4. नियंत्रणकर्ता अधिकारी किसी शासकीय सेवक को आनंद शिविर में भाग लेने की अनुमति देते समय संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही अनुमति जारी करें, जिसमें यह उल्लेख है कि आवेदक "राज्य आनंद संस्थान द्वारा संचालित आनंद शिविर कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित होने वाले आनंद शिविर में पहली बार शामिल हो रहे हैं।"

5. प्रत्येक शासकीय सेवक संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उसे आनंद शिविर में पंजीयन करते समय संस्थान की वेबसाईट **www.anandsansthanmp.in** पर अपलोड करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आनंद विभाग

Back

222

<u>प्रारूप</u>

कार्यालय ....

<u>अनुमति पत्र</u>

(आनंद शिविर में पंजीयन हेतु शासकीय सेवक को नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला अनुमति पत्र)

--00--

(नाम)श्री/श्रीमती........................(पद).................(पदस्थापना कार्यालय स्थल) .... विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम ....को राज्य आनंद संस्थान द्वारा संचालित आनंद शिविर कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण संस्था..............................द्वारा दिनांक .... से दिनांक .... तक आयोजित होने वाले आनंद शिविर में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त शिविर अवधि को 'कर्तव्य' पर माना जायेगा।

श्री/श्रीमती....................राज्य आनंद संस्थान द्वारा संचालित आनंद शिविर कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित होने वाले 'आनंद शिविर' में पहली बार शामिल हो रहे हैं।

दिनांक :-
स्थान :-

हस्ता.
(नियंत्रणकर्ता अधिकारी)
नाम :-
पद :-
कार्यालय :-
सील :-